



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4993]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 20, 2018/अग्रहायण 29, 1940

No. 4993]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 2018/AGRAHAYANA 29, 1940

गृह मंत्रालय

(साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6227(अ).—सक्षम प्राधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना के अंतरावरोधन, निगरानी और विरूपण हेतु प्रक्रिया और सुरक्षोपाय) नियम, 2009 के नियम 4 के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 69 के उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सुरक्षा और आसूचना अभिकरणों को किसी कम्प्यूटर संसाधन में तैयार, पारेषित, प्राप्त या भंडारित किसी भी प्रकार की सूचना के अंतरावरोधन, निगरानी और विरूपण के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत करता है, नामतः—

- (i) आसूचना ब्यूरो;
- (ii) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो;
- (iii) प्रवर्तन निदेशालय;
- (iv) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड;
- (v) राजस्व आसूचना निदेशालय;
- (vi) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो;
- (vii) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण;
- (viii) मंत्रिमंडल सचिवालय (रॉ);
- (ix) सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय (केवल जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम के सेवा क्षेत्रों के लिए);
- (x) पुलिस आयुक्त, दिल्ली।

[सं. 14/07/2011-टी]

राजीव गौबा, केंद्रीय गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(CYBER AND INFORMATION SECURITY DIVISION)

ORDER

New Delhi, the 20th December, 2018

S.O. 6227(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 69 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) read with rule 4 of the Information Technology (Procedure and Safeguards for Interception, Monitoring and Decryption of Information) Rules, 2009, the Competent Authority hereby authorises the following Security and Intelligence Agencies for the purposes of interception, monitoring and decryption of any information generated, transmitted, received or stored in any computer resource under the said Act, namely:—

- (i) Intelligence Bureau;
- (ii) Narcotics Control Bureau;
- (iii) Enforcement Directorate;
- (iv) Central Board of Direct Taxes;
- (v) Directorate of Revenue Intelligence;
- (vi) Central Bureau of Investigation;
- (vii) National Investigation Agency;
- (viii) Cabinet Secretariat (RAW);
- (ix) Directorate of Signal Intelligence (For service areas of Jammu & Kashmir, North-East and Assam only);
- (x) Commissioner of Police, Delhi.

[No.14/07/2011-T]

RAJIV GAUBA, Union Home Secy.